

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय सौसर, जिला-छिन्दवाड़ा म0प्र0

Accredited Grade "B" By NAAC

Phone/Fax 07165220177, Email-principal_gdcsausar@rediffmail.com, hegacsauchi@mp.gov.in

क्रमांक / 288 / स्था/ 2022,

सौसर, दिनांक 12-09-2022

// स्टेशनरी हेतु निविदा सत्र 2022-23 //

महाविद्यालय में सत्र 2022-23 हेतु शासन से अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्टेशनरी प्रदाय योजनान्तर्गत 500/- की स्टेशनरी सेट कय हेतु निविदा पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

भाव पत्र स्पष्ट एवं सुवाच्य होने चाहिये। अपठनीय एवं अपूर्ण नाम भाव पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा तुलनात्मक विवरण में शामिल नहीं किया जायेगा। भाव पत्र निम्न विवरण के साथ सील बंद लिफाफे में विभागीय वेबसाईट में प्रकाशन के 15 दिवस तक महाविद्यालय में स्वयं/कोरियर/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालयीन समय में प्राप्त होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त भाव पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। भाव पत्र नीचे दिए गये प्रारूप अनुसार प्रस्तुत करें।

क्र.	स्टेशनरी सामग्री का नाम	दर प्रति नग/दर्जन	अन्य रिमार्क
1	लॉग रजिस्टर 256 पेज		
2	लॉग रजिस्टर 254 पेज		
3	लॉग रजिस्टर 224 पेज		
4	पेंसिल पैकेट (अफसरा)		
5	बॉल पेन नौला - सेलो ग्रीपर		
6	स्केल बडी प्लास्टिक वाली 12 इंच		
7	माय क्लीयर प्लास्टिक बैग		

भाव पत्र शर्त:-

1. आपके भाव पत्र 30 जून 2023 तक वैध रहेंगे।
2. निर्धारित तिथि में प्राप्त भाव पत्र ही मान्य होंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त भाव पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त दिये गये फार्मेट अनुसार ही भाव पत्र मान्य होंगे। अन्य फार्मेट में भेजे गए भाव पत्र मान्य नहीं होंगे।
4. लिफाफे पर "स्टेशनरी प्रदाय निविदा 2022-23" अवश्य अंकित करें।
5. एफ.ओ.आर. शासकीय महाविद्यालय सौसर होगा।
6. स्टेशनरी सामग्री विक्रेताओं को दी गई समय-सीमा पर आदेशानुसार स्टेशनरी की पूर्ति करनी होगी। अन्यथा आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
7. निविदाकर्ता को स्टेशनरी सामग्री का नमूना भाव पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। स्टेशनरी सामग्री का नमूना को कय सभिते के निरीक्षण के उपरांत गुणवत्तापूर्ण पायी जाने पर आपके भाव पत्र पर विचार किया जायेगा अन्यथा आपके भाव पत्र को निरस्त कर नमूना वापस नहीं किया जायेगा।
8. सामग्री उत्तम गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए अन्यथा सामग्री वापस की जायेगी।
9. भाव पत्र में बैंक खाता क्रमांक एवं आई.एफ.एस.सी. कोड, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रचलित टिन नंबर अंकित होना अनिवार्य है।
10. स्टेशनरी के कय संबंधी अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेंगे। विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वोपरि मान्य होंगे।
11. विद्यार्थियों को वितरित की जाने वाली स्टेशनरी की किट/सेट बनाकर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

Beeraiah
श्री बीरया
LIBRARIAN
शासकीय महाविद्यालय सौसर
Dist. Chhindwara (M.P.)

Shri. K. Indrakar
12.09.22
डॉ. डी. के. इन्दोरकर
प्रभारी प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय सौसर
Govt. College, Sausar
Dist. Chhindwara (M.P.)

पृ.क्र./ / स्था/ पुस्तकालय/
प्रतिलिपि:-

सौसर दिनांक

1. स्था./लेख, शाखा शासकीय महाविद्यालय सौसर।

Sd/-
डॉ. डी. के. इन्दोरकर
प्रभारी प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय सौसर
Govt. College, Sausar
Dist. Chhindwara (M.P.)